हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति–II)

संख्याः पर(एपी–बी)बी(1)–1/1998–VIII शिमला–2, 30 मई, 2022

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या कार्मिक (एपी–बी)बी(1)–1/1998 तारीख 06–10–1998 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर, के गठन की बाबत अधिसूचना मे निम्नलिखित का और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

पैरा–2 का संशोधन। "पूर्वाक्त अधिसूचना के पैरा 2 के उप–पैरा(1)की विद्यमान मद संख्या(vii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–"

(vii) चालक, कान्स्टेबल (सिपाही), वार्डर(जेल विभाग), फार्मस्सिट(आयुष) और स्वास्थ्य विभाग के 50 फीसदी फार्मस्सिट के पद, मेल हेल्थ वर्कर्ज, दाई, प्रयोगशाला तकनीशियन (आयुष विभाग), फॉरेस्ट गार्ड और फॉयरमेन/वेटनरी फार्मसिस्ट/किसी भी सरकारी विभाग में कंमपाउर्डज';

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः पर(एपी–बी)बी(1)–1/1998–VIII शिमला–2, 30 मई, 2022

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 ।
2. प्रधान सचिव(राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 ।
3. सचिव(स्वास्थ्य व परिवार कल्याण), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।
4. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 ।
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–2.
6. सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर।
7. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश शिमला–5 ।

(बलबीर सिंह)
उप सचिव (कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।